04/11/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर नहीं आये हैं। न्यायालय में तीन-तीन बार पृथक-पृथक समय पर आवाजें लगवाने पर भी हाजिर नहीं आये हैं। मूल वाद अंतर्गत O-9, R-3 CPC के तहत खारिज होने से पत्रावली में अब कार्यवाही का औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली (T.I.) औचित्यहीन होकर अंतर्गत O-9, R-3 CPC के तहत अदम हाजिरी व अदम पैरवी में एतद द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। नियम खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
सांगानेर लोक (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2023.03.02 13:56:13 IST
Reason: SelfAttested